



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVL. DIVISION
P.W.D BHATWARI (UTTARKASHI) PIN- 249135
E.Mail-eeppwdbhatwari@rediffmail.com Fax No-01374-244321



पत्रांक 928/2 भू.अ.
सेवामें,

दिनांक 16/06 /2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।
विषय :- जनपद उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाड़ी में भल्लियाना लम्बगांव
उत्तरकाशी मोटर मार्ग से जसपुर-सिल्याण-निराकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.125 है0 वन भूमि का
हस्तान्तरण (Online No. FP/UK/ROAD/49632/2020)
सन्दर्भ :- EDS Dated 08/04/2021. (Regional Office Dehradun).

SN.	Objections	Neutralization
i	State Govt. is requested to withdraw the earlier proposal no. FP/UK/ROAD/28932/2017 from online portal.	आपत्ति के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-721/2 भू0अ0, दि0 17/04/2021 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को पत्र प्रेषित कर दिया गया है जिसकी प्रति अपलोड कर दी गयी है।
ii	Number of trees mentioned in justification are 288 however, details of 380 trees uploaded online. State Govt. may remove this discrepancy and submit/upload correct information.	मोटर मार्ग के निर्माण से वास्तविक रूप से प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 380 है, सूची ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
iii	State Government may upload the abstract of tree enumeration list as the same is not found uploaded.	प्रभावित होने वाले समस्त व्यास वाले (0-10 से0मी0 सहित) वृक्षों की सूची अपलोड कर दी गयी है।
iv	Details of girth of trees submitted in tree enumeration list are not matching with the details filled at para 4 in part II. State Govt. may remove this discrepancy and submit/upload correct information.	प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची girth wise अपलोड कर दी गयी है।
v	Density mentioned in part II is 0.24 for 380 trees in 2.125 ha area. May request to review the same.	आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से होना है।
vi	As per DSS analysis. 1 ha area found in MDF proposed in civil & Soyam land. DFO. may inspect the area and submit site Inspection report or a certificate mentioning if 1000 trees per hectare can be accommodated or not. If not then the plantation scheme as per guidelines dt. 08-11-2017 may be submitted.	आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से होना है।
vii	State Government may upload the work not start certificate as the same is not found uploaded.	कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।

viii	It is seen from the data given in para -14 of online Part-II i.e. district profile that the CA stipulated (2241 ha) is not commensurate to the forest land diverted (1652 ha). Logically, the CA stipulated should be double the area of forest land diverted and the disparity, if any, is required to be clarified suitably.	आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से होना है।
ix	<p>Following observations noticed in the muck disposal plan and State Government is requested to submit/upload clarification/document/information:</p> <p>(a) It is seen that total muck calculated is 19550 cum for 4-025 km length which appears less. State Government is requested to review the same.</p> <p>(b) It is seen that swell factor calculated for balance material whereas it should be calculated for total muck generated.</p> <p>(c) Muck disposal proposed on 0.375 ha forest land. State Government may submit the Muck disposal plan duly authenticated by DFO.</p> <p>(d) State Government may submit the reclamation plan.</p> <p>(e) Photographs of the muck dumping sites not found uploaded which may be submitted/uploaded.</p>	संशोधित मक डिस्पोजल प्लान प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी से हस्ताक्षर उपरान्त अपलोड कर दिया गया है। चिह्नित मक डिस्पोजल स्थल के फोटोग्राफ्स भी अपलोड कर दिये गये हैं।

पूर्व में अपलोड किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण के मैप में क्षेत्रफल गलत अंकित होने के कारण पुनः क्षतिपूरक वृक्षारोपण के जियोरिफरेन्स एवं टोपोसीट मैप सुधार कर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारियों के हस्ताक्षर उपरान्त अपलोड कर दिये गये हैं।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से आवश्यक आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

- संलग्नक :-
1. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के जियोरिफरेन्स एवं टोपोसीट मैप की 5 प्रति मूल में।
 2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के Land Shedule, MOU & Non Encumbrance Certificate की 5 प्रति मूल में।
 3. संशोधित मकडिस्पोजल प्लान की 5 प्रति मूल में।
 4. चिह्नित मक डिस्पोजल स्थल की फोटो ग्राफ्स की 5 प्रति मूल में।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- अपर मुख्य वन संरक्षक नोडल कार्यालय भूमि संरक्षण निदेशालय इन्दिरानगर देहरादून। (ई-मेल द्वारा)
- 2:- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2:- अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
- 3:- सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाडी।

अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाडी।
16/6/2024

अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
भटवाडी।